



पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, उत्तर प्रदेश

8वाँ तल, टावर-4, पुलिस मुख्यालय, अमर शहीद पथ, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ -226002

e-mail : tshq@nic.in

पत्र संख्या:-टीएस-सीसीटीएनएस -06/2010(25)

दिनांक: अगस्त, 2025

सेवा में,

1. **पुलिस आयुक्त** – समस्त कमिश्नरेट, उ0प्र0।
2. **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक** – समस्त जनपद, उ0प्र0।

विषय:-BNSS की धारा 35(3) के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली नोटिस की आनलाइन सीसीटीएनएस में व्यवस्था निर्मित किये जाने विषयक।

कृपया सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय की अध्यक्षता में दिनांक सितम्बर 26, 2024 को आहूत ICJS 2.0 स्टेट इम्पावर्ड कमेटी की गोष्ठी के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या- 1(v) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से BNSS की धारा 35(3) के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली नोटिस की कार्यवाही की व्यवस्था को सीसीटीएनएस में निर्मित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उपरोक्त क्रम में इस मुख्यालय द्वारा सीसीटीएनएस कैस आनलाइन साफ्टवेयर पर व्यवस्था निर्मित कर दी गयी है। जिसके सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है -

- (i) सीसीटीएनएस कैस आनलाइन साफ्टवेयर पर सम्बन्धित विवेचक द्वारा अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन किया जायेगा।
- (ii) तत्पश्चात् अनुसंधान टैब के अन्तर्गत “**अभियुक्त का 35(3) BNSS नोटिस भरें**” टैब उपलब्ध है।
- (iii) आवश्यकतानुसार प्राथमिकी संख्या, तिथि सीमा का चयन कर खोजे बटन पर क्लिक करने पर प्राथमिकी प्रदर्शित होगी।
- (iv) प्राथमिकी संख्या पर क्लिक कर नामित अभियुक्त का विवरण प्रदर्शित होगा, जिसे भरकर जमा किया जायेगा।
- (v) जमा किये गये विवरण को ‘**प्रिंट**’ बटन पर क्लिक कर प्रिंट लिया जायेगा।

सम्बन्धित SOP (Standard Operating Procedure मानक संचालन प्रक्रियाएँ) इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

अतः उक्त सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ नियुक्त विवेचकों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे पत्र के साथ संलग्न SOP का भली-भाँति अवलोकन करते हुये BNSS की धारा 35(3) के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली नोटिस को आनलाइन सीसीटीएनएस के माध्यम से भरते हुये सम्बन्धित प्रपत्रों के साथ संलग्न कर आवश्यकतानुसार उच्चाधिकारीगण व माननीय न्यायालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

(नवीन अरोरा)

अपर पुलिस महानिदेशक,
तकनीकी सेवायें मुख्यालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. पुलिस महानिदेशक – पॉवर कारपोरेशन, CID, EOW, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक – रेलवे, एस0टी0एफ0, उ0प्र0।
3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन, उ0प्र0।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित इकाईयों/जनपदों को अपने स्तर से भी निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
5. पुलिस महानिरीक्षक - ए0टी0एस0, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, ए0एन0टी0एफ0, उ0प्र0।
6. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उ0प्र0।



नोटिस 35(3)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

Integration in CCTNS CAS

मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

चरण (1) – सीसीटीएनएस कैस(आनलाईन) पर लागिन

➤ CCTNS CAS LOGIN PAGE

- सर्वप्रथम किसी वेब ब्राउजर मे <https://192.168.75.101/CCTNSWeb/Login.aspx> लिंक को अंकित करेंगे जिसके पश्चात निम्न लागिन पेज खुलेगा जिसमें CAS के लागिन आईडी व पासवर्ड से लागिन करेंगे।

CCTNS
Crime & Criminal Tracking Network & System

About Police Department
"The Indian Police Service, simply known as Indian Police or IPS, is one of the three All India Services of the Government of India. In 1948, a year after India gained independence from Britain, the Imperial Police (IP) was replaced by the Indian Police Service. The IPS is not a law enforcement agency; rather it is a civil service in which officers are selected on the basis of professional merit as proven by competitive examinations, and to which all police officers are professionally identified. Police officers are employed by the police departments of respective states of India."

Officer Login
Username
Password
Hindi Login Forgot Password Help

Latest Information
"The Central government is implementing an ambitious scheme called "Crime and Criminal Tracking Network System (CCTNS)". The goals of the system are to facilitate collection, storage, retrieval, analysis, transfer and sharing of data and information at the police station and between the police station and the State Headquarters and the Central Police Organizations."

- Track Missing Child
- Missing Person/Unidentified Dead Body
- CCTNS Public Report

चरण (2) – अभियुक्त का 35(3) BNSS नोटिस भरें

- लागिन करने के उपरान्त [अनुसंधान >> अभियुक्त का 35\(3\) BNSS नोटिस भरें](#) विकल्प का चयन करेंगे।

The screenshot shows the main dashboard of the TSHQ-CCTN06CAS(CAS) portal. On the left, there is a sidebar with various icons and labels. The 'अभियुक्त का 35(3) BNSS नोटिस भरें' option is highlighted with a red box. The right side of the dashboard shows a search bar and a list of cases.

- उक्त विकल्प के चयन के उपरान्त निम्न पेज खुलेगा जिसमें विवेचक द्वारा [प्राथमिकी संख्या](#) अथवा [तिथि सीमा](#) का चयन कर खोजें बटन पर क्लिक करेंगे।

The screenshot shows the 'अभियुक्त का नोटिस 35(3) बीएनएस भरें' page. It features a search bar with fields for 'प्राथमिकी संख्या' and 'तिथि सीमा'. Below the search bar is a table of cases. The first row of the table is highlighted with a red box, and a red arrow points to the 'प्राथमिकी संख्या' column. A red box with the text 'संबंधित FIR पर क्लिक करें' is also present.

क्र.सं.	प्राथमिकी संख्या	पंजीकरण की तारीख	विवेचक द्वारा तैयार	पुलिस स्टेशन
1	0002/2024	15-01-2024	9454403848	गाज़ीपुर
2	0003/2024	16-01-2024	9454403848	गाज़ीपुर
3	0004/2024	01-04-2024	9454403848	गाज़ीपुर
4	0005/2024	08-04-2024	9454403848	गाज़ीपुर
5	0006/2024	08-04-2024	9454403848	गाज़ीपुर
6	0007/2024	08-04-2024	9454403848	गाज़ीपुर
7	0008/2024	09-04-2024	9454403848	गाज़ीपुर
8	0009/2024	11-04-2024	9454403848	गाज़ीपुर
9	0010/2024	18-04-2024	9454403848	गाज़ीपुर
10	0011/2024	18-04-2024	9454403848	गाज़ीपुर

- FIR नं० पर क्लिक करने के उपरान्त उक्त FIR के संबंधित अभियुक्त निम्न प्रकार से प्रदर्शित होंगे।

जनसंख्या डायरी

शिकायत

नागरिक सेवाएँ

पंजीकरण

अनुसंधान

अभियोजन

डेटाबैंक सेवाएँ

रिपोर्ट

व्यवस्थापक

रजिस्टर

खोज और प्रश्न

विशेष रिपोर्ट

बीट ऐप सेवाएँ

मुख्य पृष्ठ

अनुसंधान

अभियुक्त का नोटिस 35(3) बीएनएसएस भरे

अभियुक्तगण सूची

अभियुक्तगण सूची

* अनिवार्य फ़िल्ड

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	पिता का नाम	पता	थाना	जनपद	गिरफ्तारी की तारीख	आरोप पत्र स्थिति	नोटिस 35(3) बीएनएसएस दर्ज (हाँ / नहीं)	नोटिस 35(3) बीएनएसएस प्रिंट करें
1	रिंकू सिंह सोनी	राजेन्द्र सिंह सोनी	लखनऊ	गाज़ीपुर	लखनऊ उत्तरी (कमिश्नेट लखनऊ)	उपलब्ध नहीं	आरोप पत्र प्रेषित नहीं	हाँ	प्रिंट करें
2	महेश वर्मा	सुरेश वर्मा	लखनऊ	गाज़ीपुर	लखनऊ उत्तरी (कमिश्नेट लखनऊ)	उपलब्ध नहीं	आरोप पत्र प्रेषित नहीं	नहीं	उपलब्ध नहीं

बंद करें

फार्म भरने हेतु क्लिक करें

फार्म भरा जा चुका है, प्रिंट करने हेतु क्लिक करें।

- नोटिस 35(3) BNSS भरने हेतु अभियुक्त के नाम पर क्लिक करने पर निम्न प्रकार फार्म प्रदर्शित होगा जिसमें मुकदमे एवं अभियुक्त से संबंधित विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे।

जनसंख्या डायरी	शिकायत	नागरिक सेवाएँ	पंजीकरण	अनुसंधान	अभियोजन	डेटाबैंक सेवाएँ	रिपोर्ट	व्यवस्थापक	रजिस्टर	खोज और प्रश्न	विशेष रिपोर्ट	वीट ऐप सेवाएँ					
मुख्य पृष्ठ » अनुसंधान » अभियुक्त का नोटिस 35(3) बीएनएसएस भरे » अभियुक्त का नोटिस 35(3) बीएनएसएस के संबंध में विवरण दर्ज करें																	
अभियुक्त का नोटिस 35(3) बीएनएसएस के संबंध में विवरण दर्ज करें												* अनिवार्य फ़िल्ड					
मुकदमे के संबंध में विवरण :																	
जनपद	लखनऊ उत्तरी (कमिश्नेट लखनऊ)	थाना	गाज़ीपुर	मु०अ०स०	2	वर्ष	2024	धारा	क्र.सं. अधिनियम	धारा							
					1	भा दं सं 1860			325, 379, 427								
अभियुक्त से संबंधित विवरण :																	
अभियुक्त का नाम	: महेश वर्मा	पिता का नाम	: सुरेश वर्मा	पता	: लखनऊ	अभि० थाना	: गाज़ीपुर	अभि० जनपद	: लखनऊ उत्तरी (कमिश्नेट लखनऊ)								
अभियुक्त का बयान अन्तर्गत नोटिस धारा 35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता - 2023 में अभिलिखित करने के संबंध में विवरण दर्ज करें:																	
बयान अभिलिखित करने हेतु दिनांक एवं समय *	DD/MM/YYYY	HH:MM	अन्य विवरण *														
										शेष अक्षर: 1000							
										जमा करें	रिक्त करें	बंद करें					

- फार्म में दर्ज विवरण भरेगें तथा फार्म भरने के उपरान्त नीचे दिये **जमा करें** बटन पर क्लिक करेंगे।

○ **जमा करें** बटन पर क्लिक करने के उपरान्त निम्न संदेश प्रदर्शित होगा।

जनरल डायरी	शिकायत	नागरिक सेवाएँ	पंजीकरण	अनुसंधान	अभियोजन	डेटाबैंक सेवाएँ	रिपोर्ट	व्यवस्थापक	रजिस्टर	खोज और प्रश्न	विशेष रिपोर्ट	वीट ऐप सेवाएँ
मुख्य पृष्ठ » अभियुक्त का नोटिस 35(3) वीएनएसएस भरे												
अभियुक्त का नोटिस 35(3) वीएनएसएस विवरण 316550152400020002 सफलतापूर्वक सुरक्षित किया गया प्रिंट के लिए यहां क्लिक करें												

○ प्रिंट करने पर निम्न प्रकार सैंपल पीडीएफ प्रदर्शित होगी।

<p style="text-align: center;">पुलिस द्वारा प्रकट होने के लिये नोटिस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता - 2023 की धारा - 35(3) के अन्तर्गत)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">पुलिस स्टेशन -</p> <p>क्रम सं. -</p> <p>सेवा में,</p> <p>[अभियुक्त/नोटिस प्राप्तकर्ता का नाम]</p> <p>[अंतिम ज्ञात पता]</p> <p>[दूरभाष सं./ई-मेल पता (यदि कोई हो)]</p> <p>भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा - 35 की उपधारा - (3) के अनुसरण में, मैं आपको सूचित करता हूँ _____ पुलिस स्टेशन पर रजिस्ट्रीकृत _____ धारा के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट / मामला संख्या _____ तारीख _____ के अन्वेषण के दौरान, यह प्रकट हुआ है कि वर्तमान अन्वेषण के संबंध में आपसे राज्यों और परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए, आपसे प्रश्न पूछने के लिए युक्तियुक्त आधार है।</p> <p>अतः आपको _____ पूर्वाह्न/अपराह्न तारीख - _____ को पुलिस स्टेशन - _____ पर मेरे समक्ष प्रस्तुत होने के लिए निर्देशित किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">भारसाधक अधिकारी का नाम :</p> <p style="text-align: right;">पद नाम /मुहर :</p> <p style="text-align: right;">थाना :</p> <p style="text-align: right;">जनपद :</p>
--

--धन्यवाद--